# राजस्थान सरकार
## निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.18(I-66)आई़डब्ल्यूएमपी/निजभूस/2015/4745-4823 दिनांक : 05/06/2015

**आदेश**

एकीकृत जलग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु जलग्रहण समिति का गठन ग्राम सभा के माध्यम से किये जाने का प्रावधान है। राज्य में जलग्रहण समिति के गठन, जलग्रहण समिति के अध्यक्ष एवं सचिव के चयन तथा अन्य कार्यकलापों हेतु पूर्व में विभागीय आदेश अनुसार कार्यवाही सम्पादित की जा रही है, किन्तु जलग्रहण समिति के गठन एवं अन्य पदाधिकारियों के चयन में प्रायः यह अनुभव किया गया है कि ग्रामसभा में सर्वसम्मति नहीं बन पाने, सामाजिक एवं राजनैतिक विवादों तथा ग्रामसभाओं में वांछित गण पूर्ती के अभाव के कारण व्यवहारिक कठिनाई आ रही है। साथ ही जलग्रहण समिति के अध्यक्ष एवं सरपंच के पृथक–पृथक होने से उनके मध्य तालमेल नहीं होने के कारण जलग्रहण परियोजना की क्रियान्विति में बाधा उत्पन्न होती है।

उपरोक्त समस्याओं के निदान हेतु राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरएए) की कार्यकारिणी समिति की 8वीं बैठक दिनांक 11.03.2011 के कार्यवाही विवरण के अनुसार जलग्रहण समिति के अध्यक्ष के निर्णय के सम्बन्ध में राज्यों को कई विकल्प अपनाने के निर्देश दिये गये है।

राजस्थान में जलग्रहण समिति के गठन में आ रही उपरोक्त कठिनाइयों के निराकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में गठित होने वाली जलग्रहण समितियों में सम्बन्धित सरपंच जलग्रहण समिति का पदेन अध्यक्ष होगा। अन्य सदस्यों एवं सचिव का चयन/मनोनयन ग्राम सभा द्वारा किया जायेगा।

अतः निर्देशानुसार सभी सम्बन्धित को आदेशित किया जाता है कि इस आदेश की तारीख के बाद गठित होने वाली जलग्रहण समितियों का गठन राज्य सरकार के उक्त निर्णय के अनुसार किया जायें।

यह आदेश मुख्यमंत्री कार्यालय की आई.डी. संख्या एफ15001779 दिनांक 26.5.2015 से अनुमोदित है।

5.6.15
(एम.एस.काला)
निदेशक

क्रमांक : एफ.18(I-66)आई़डब्ल्यूएमपी/निजभूस/2015/4745-4823 दिनांक : 05/06/2015

प्रतिलिपि :–

1. संयुक्त सचिव (एलटी) मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, श्रीमान मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज, जयपुर।
7. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, जयपुर।
8. जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर, समस्त।
9. अतिरिक्त निदेशक (आईडब्ल्यूएमपी/प्रशासन), निदेशालय, जयपुर।
10. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, जयपुर।
11. संयुक्त निदेशक, निदेशालय समस्त।
12. अधीक्षण अभियन्ता एवं परियोजना प्रबन्धक, वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर, जिला परिषद, समस्त को भेजकर लेख है कि उपर्युक्त आदेशों की प्रति आपके अधीन कार्यरत अधिशाषी अभियन्ता/पीआईए एवं सहायक अभियन्ता को उपलब्ध करवा कर अनुपालना सुनिश्चित करावें।
12. ए.सी.पी., निदेशालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।

5-6-15
निदेशक